## विशेष साधारण सभा दिनांक २२।१२।२०२४

श्री परशुराम सुविधागृह सह. समिति की विशेष साधारण सभा की बैठक दिनांक २२।१२।२४ रविवार को 12:15 बजे स्थान:- श्री परशुराम नगर बकरखेड़ा रोड पर श्री बालकृष्ण शर्मा की अध्यक्षता में प्रारंभ की गई। जिसमे निम्नानुसार विषय सूची पर गहन विचार विमर्श कर निर्णय लिये गये:—

| | |
|---|---|
| (३४) न्यायालयीन कार्यवाही की जानकारी बाबत। | (३४) संस्था द्वारा की जा रही न्यायालयीन कार्यवाहियों की जानकारी उपस्थित सदस्यों को निम्नानुसार दी गई:—<br>(1) संस्था की भूमि पर लगी हुई प्रिकास्ट बाउन्ड्री को पुलिस विभाग द्वारा तोड़ने की धमकी एवं ~~सड़क~~ कालोनी के रास्ते मे अवरोध उत्पन्न करने के कारण से संस्था द्वारा पुलिस एवं कलेक्टर के विरुद्ध स्टे आदेश प्राप्त करने के लिए न्यायालय मे वाद प्रस्तुत किया गया।<br>(२) संस्था की भूमि से लगी हुई भूमि से रास्ते के लिए संस्था ने श्री देवीलाल दवे को शसर्त २० लाख रुपये (बीस लाख रुपये) अनुबंध अनुसार उधार दिये थे लेकिन श्री देवीलाल दवे ने अनुबंध के अनुसार मांग किये जाने पर भी राशि अदा नही की है, इस कारण उसके विरुद्ध वसूली का वाद प्रस्तुत किया गया है।<br>(3) उच्च न्यायालय मे प्रचलित अपील क्र. 180/2011 प्रथम अपील जो कि यशोदा बाई आदि के विरुद्ध की गई थी जिसमे अनुबंधित भूमि सर्वे क्र. 1056, 1057, 1063 को प्रकरण विचाराधिन के दौरान अन्य व्यक्तियों को विक्रय की जानकारी प्राप्त होने पर उन व्यक्तियों को |

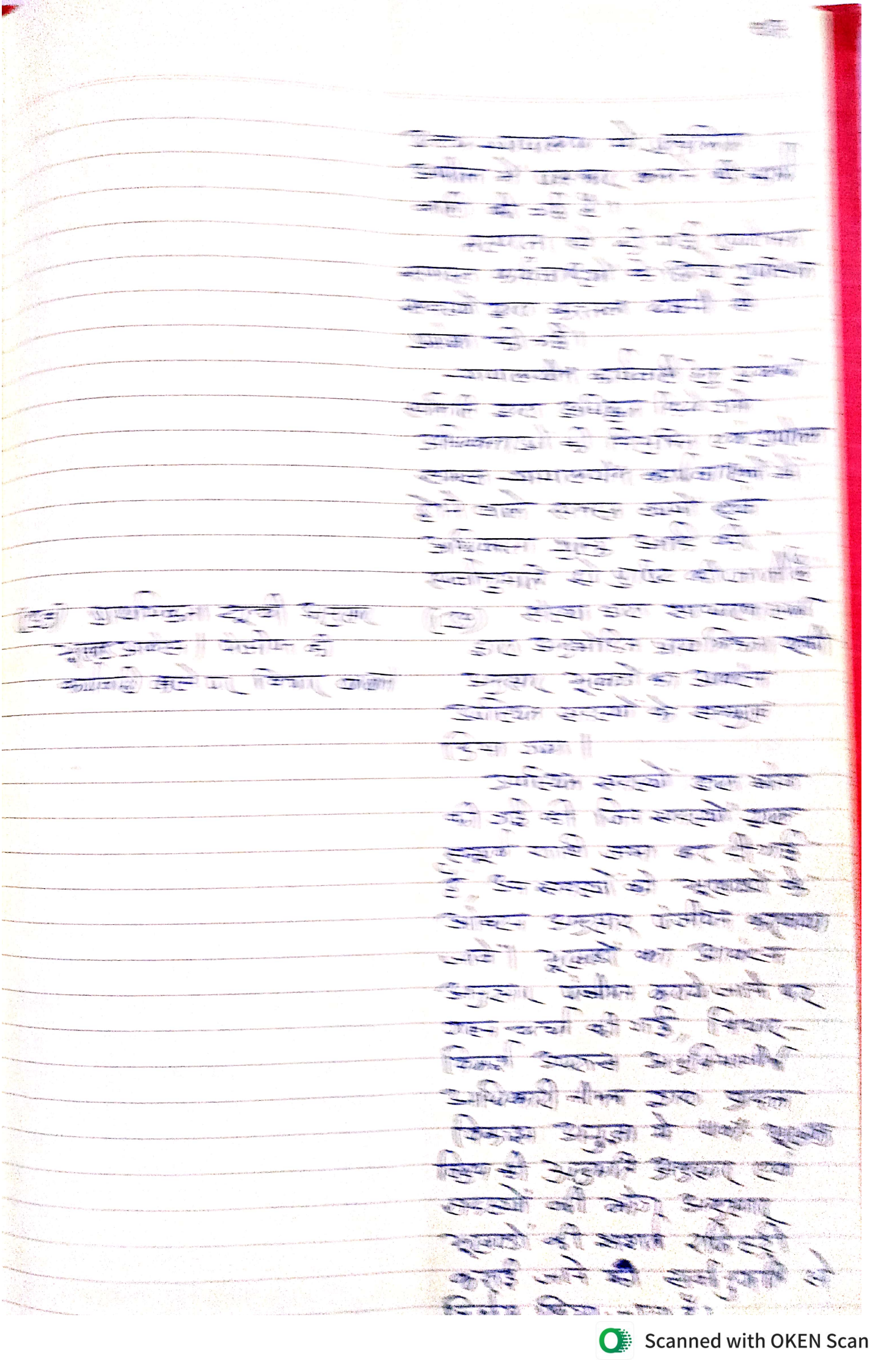

किसी न्यायालय के पूर्व [illegible]
अधीन से प्रकट रूप से वंचित
नहीं हो रहे हैं।

न्यायालय ने यह भी पाया कि
समस्त कार्यवाहियों के लिए पुलिस
सम्बन्धी द्वारा आवश्यक कदम
उठाए गए नहीं।

न्यायालयीन कार्यवाही हेतु सम्बन्धित
समिति द्वारा [illegible] किये गये
अधिकारियों की नियुक्ति एवं उचित
समस्त न्यायालयीन कार्यवाहियों के
होने वाले खर्च स्वयं वहन
अधिवक्ता शुल्क आदि की
[illegible] से पूर्ति की जानी है।

(12) सेवा पुस्तिका [illegible]
द्वारा अनुमोदित प्रपत्रों सभी
अनुसार भुगतानों का उल्लेख
[illegible] के अनुसार
किया जाना।

[illegible] द्वारा [illegible]
की गई [illegible] जिन [illegible]
[illegible] जमा कर दी गई
है, उन [illegible] को भुगतानों के
[illegible] अनुसार पेंशन [illegible]
जावे। भुगतानों का [illegible]
अनुसार पेंशन कराये जाने पर
[illegible] की गई, जिसपर
किसी प्रकार [illegible]
अधिकारी [illegible] द्वारा [illegible]
किया [illegible] में [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] की [illegible] [illegible]
भुगतानों की [illegible] [illegible]
[illegible] जाने की [illegible] से

(13) पूर्णनिष्ठा [illegible] [illegible]
[illegible] पेंशन के
कार्यवाही करने पर विचार [illegible]

| | |
|---|---|
| (150) विकास कार्य हेतु प्राप्त न्यूनतम दर को अनुमोदित/ कार्यआदेश बाबत। | (150) संस्था की कालोनी श्री परशुराम नगर के बाह्य विकास हेतु संस्था द्वारा नियमानुसार दो बार प्रादेशिक एवं स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की गई थी। जिसमे द्वितीय विज्ञप्ति में निविदाओं मे प्राप्त न्यूनतम दर अनुमानित लागत (एस. ओ. आर.) से 5% अधिक की होकर न्यूनतम दर ओ. के इन्टरप्राइजेज नीमच की है, जिसमें फर्म ने जी. एस. टी. 18% अतिरिक्त की मांग की है, सर्वानुमति से न्यूनतम दर ओ. के. इन्टरप्राइजेज नीमच की दर को स्वीकृत एवं अनुमोदित किया जाता है। <br> नियमानुसार फर्म को कार्य-आदेश प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। |
| (151) अध्यक्ष की अनुमति से सदस्यों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर चर्चा बाबत। | (151) अध्यक्ष की अनुमति से सदस्यों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। <br> सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन मे "संस्था के कार्यक्षेत्र के बाहर के निवासी होने से जिनकी सदस्यता पूर्व मे समाप्त की गई थी एवं उन्ह के द्वारा बार-बार कलेक्टर नीमच को झूंठी शिकायते जनसुनवाई के माध्यम से की गई है, जिससे संस्था का विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा है एवं संस्था की साख को क्षति पहुंच रही है इस कारण उनके विरुद्ध उचित ठोस कार्यवाही की जाने की मांग की गई है <br> आवेदन पत्र पर गहन चर्चा की गई, चर्चा उपरान्त समस्त सदस्यों द्वारा ये माना गया की बार-बार कलेक्टर |

नीमच को झूंठी-शिकायतों के कारण सेवा का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। झूंठी शिकायत-कर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की जाना आवश्यक प्रतीत होता है झूंठी शिकायतों के कारण कलेक्टर नीमच द्वारा पुनः अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर जाँच की जा रही है जबकि पूर्व में सहायक आयुक्त द्वारा कलेक्टर नीमच के आदेश के पालन में जाँच कर शिकायत का निराकरण किया जा चुका है।

अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि झूंठी शिकायत-कर्ताओं के खिलाफ एवं संस्था की पेनीकृत उपविधि के एवं सहकारिता के नियमों के विरुद्ध कलेक्टर नीमच द्वारा की जाँच जा रही जाँच के विरुद्ध नियमानुसार माननीय उच्च न्यायालय में कार्यवाही की जावे।